न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारी :– सुभाष चन्द्र, आर.ए.एस.

मैनुअल प्र.सं. : 05 / 2022

जीसीएमएस : 2022 / 00264

1. करणीसिंह पुत्र श्री गंगासिंह उर्फ गोलूसिंह जाति रायसिख साकिन 16 एनपी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
2. प्रेमसिंह पुत्र श्री गंगासिंह उर्फ गोलूसिंह जाति रायसिख साकिन 16 एनपी तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर राज.।

–अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार।
2. ग्राम पंचायत मालसर (4 एस.ए.डी.) पं.सं. रायसिंहनगर जरिये सरपंच ग्राम पंचायत मालसर (4 एस.ए.डी.) पं. सं. रायसिंहनगर।

अमरकौर पुत्री श्री गजनसिंह जाति रायसिख साकिन अनूपगढ़ तहसील अनूपगढ़

अपीलअन्तर्गत धारा75 एल.आर.एक्ट

रजू दिनांक 11.05.2022

उपस्थिति :–

1.श्री अजीतपालसिंह ,अधिवक्ता अपीलांट

2.श्री रणजीतसिंह सोनी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट सं. 3

–: निर्णय :– दिनांक : 09.12.2024

01. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलांट ने अपील मय प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम सपठित धारा 151 सीपीसी पेश कर निवेदन किया है कि वाके चक 15 एन.पी. तहसील रायसिंहनगर के खाता सं. 43 में पत्थर नं. 169 / 329 मु.नं. 20 की 2.025 है. नहरी बारानी पं.नं. 170 / 330 मु.नं. 25 की 2.682 है. नहरी–बारानी पं.नं. 171 / 330 मु.नं. 26 की 2.177 है. बारानी, पं.नं. 171 / 331 मु.नं. 28 की 2.024 है. बारानी पं.नं. 172 / 331 मु.नं. 27 की 0.493है. बारानी कुल खाता योग 9.401 है. नहरी बारानी खातेदारी अपीलांटस के दादा उतमसिंह की खातेदारी थी जिस पर उतमसिंह को समस्त हक व अधिकार एकल व स्वतंत्र रूप से हासिल थे। श्री उतमसिंह ने अपने जीवनकाल में दिनांक 03.06.1996 को उक्त स्वअर्जित रकबा की वसीयत अपने दोनों पोतो यानि अपीलांटस के पक्ष में स्वेच्छा से निष्पादित करवाते हुये उपंजीयक मुकलावा से पंजीकृत करवा दी थी जो वसीयत श्री उतमसिंह की मृत्यु के दिन से प्रभावशील होकर लागू हो चुकी है ओर वसीयत श्री उतमसिंह की मृत्यु के दिन से प्रभावशील होकर लागू हो चुकी है ओर वसयीत ग्रेहिता की हैसियत से अपीलांटस को उक्त रकबा पर समस्त हक व अधिकार हासिल होकर उक्त रकबा अपीलांटस के कब्जा काश्त में साधिकार चला आ रहा है तथा वसीयतन इन्तकाल का आवेदन करने पर मृतक श्री उतमसिंह की पुत्री जीतकौर ने उक्त रकबा के संबंध राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राज. काश्त. अधि. के तहत दिनांक 28.05.2008 को माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर में अपीलांटस के विरूद्ध अनवानी जीतकौर बनाम करणीसिंह आदि प्रस्तुत किया जिसके साथ अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पेश करने पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई। माननीय न्यायालय [illegible] उक्त वाद में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 09.07.2012 पारित की गई जिसके विरूद्ध अपीलांटस ने अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष अपील ब अनवानी करणीसिंह आदि बनाम जीतकौर आदि नं. 64 / 2012 प्रस्तुत की गई। जिसमें भी स्थगन आदेश पारित हुआ। जिस अपील में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 09.07.2015

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.02.25 10:52:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

SCAN AnyScanner

के विरूद्ध अपीलांटस ने माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में अपील डिक्री टी. ए. संख्या 4244/2015 बअनवानी करणीसिंह आदि बनाम जीतकौर आदि प्रस्तुत की गई, जिसमें जीतकौर द्वारा केवियट प्रस्तुत की जाने पर दोनों पक्षों को सुनकर अपील के निरतारण तक स्थगन आदेश जारी किया गया। अपील विचाराधीन है जिसमें आगामी पेशी 11.05.2022 मुकर्र है तथा स्थगन निरन्तर है। इस प्रकार विवादित रकबा के संबंध में विवाद राजस्व न्यायालय में विचाराधीन होकर स्थगन होने का ज्ञान व जानकारी जीतकौर को अपने जीवनकाल में होने से उसे विवादित रकबा का कोई अंश किसी भी रीति से किसी के पक्ष में अतरित करने संबंधी दस्तावेज के निष्पादन का विधिक अधिकार नही था ना ही ऐसे किसी अंतरण दस्तावेज से रिकार्ड की स्थिति में परिवर्तन ही किया जा सकता था। इसके बावजूद जीतकौर मृतक की पुत्री रेस्पोडेट अमरकौर ने जीतकौर की मृत्यु उपरांत एक तथाकथित वसीयत दिनांकित 31.08.2020 की रूह से विवादित रकबा के संबंध में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में अपील के विचारधीन होकर जारी स्थगन की भलीभांति ज्ञान व जानकारी होने व जमाबन्दी में भी स्थगन का रिमार्क लगे होने के बावूजद अपीलांटस की अनभिज्ञता में उक्त रकबा का अपनी माता जीतकौर के नाम से विरास्तन दर्ज समस्त 1/6 भाग का वसीयत इन्तकाल संख्या 418 विधिक प्रावधानों व नियमों के विपरीत बिना किसी विधिक प्रक्रिया को अपनाये विधि विरूद्व तरीके से सरपंच व पटवारी से मिलीभगत कर दर्ज करवाते हुये दिनांक 06.09.2021 को स्वीकृत करवा लिया गया, जिससें व्यथित होकर अपीलांटस की ओर से यह अपील माननीय न्यायालय के समक्ष पेश की गई है कुछ अरसा पूर्व रेस्पोंडेट अमरकौर ने अपीलांटस को धमकी दी कि वह विवादित रकबा की मालिक बन गई है कब्जा उसे सुपुर्द करो अन्यथा जबरन बेदखल कर जबरन काबिज हो जायेगी, जिस पर अपीलांटस से पटवारी हल्का से सम्पर्क कर पता करने पर अब अपीलाधीन इन्तकाल का ज्ञान हुआ तो विधिक राय लेने पर शीघ्र अति शीघ्र इन्तकाल अपास्त करवाने हेतु अपील प्रस्तुत करने की सलाह दी, जिस पर अपीलांट ने वकील फीस व खर्चा की व्यवस्था कर यथासंभव यह अपील शीघ्र अति शीघ्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रहे है, अपीलांट सद्भावी है उन्होने जानबुझकर या लापरवाहीवश व आलस्यवश अपील पेश करने में देरी नहीं की है बल्कि ज्ञान होने पर यथासंभव शीघ्र अपील माननीय न्यायालय में पेश कर रहे है, अपीलांटस सद्भावी है इसलिये न्यायहित में अपील प्रस्तुत करने में हुई आज तक की देरी को कन्डोन (माफ) फरमायी जाकर अपील अपीलांटस ज्ञान से अंदर मियाद मानी जाकर सुनवाई के लिये स्वीकार किया जाना न्यायोचित, न्यायसंगत, विधिसंगत व अत्यन्त आवश्यक है अन्यथा सूरत में अपीलांट के साथ गेरइंसाफी होने का अन्देशा रहेगा, उसके विध्कि अधिकारों का हनन होगा, अपूर्णीय क्षति होगी, मानसिक परेशानी होगी, मुकदमाबाजी बढ़ेगी, जिन सबसे होने वाले नुकसान को मुद्राओं में नहीं आंका जा सकेगा। दफा 5 मियाद अधिनियम का आवेदन अलग से पेश है अपील अपीलांट माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार की है जो उचित न्यायशुल्क पर ज्ञान से एवं कोविड–19 महामारी के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी दिशा–निर्देशों अन्तर्गत अन्दर मियाद पेश की जा रही है। अतः अपील अपीलांटस पेश कर निवेदन है कि अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय सरपंच ग्राम पंचायत मालसर (4एस.ए.डी.) के नामान्तरकरण रजिस्टर (इन्तकाल) संख्या 418 दिनांक 18.08.2021 जिसकी रूह से वाके चक 15 एन.पी. तहसील रायसिंहनगर के खाता सं. 43 में पत्थर नं. 169/329 मु.नं. 20 की 2.025 है. नहरी बारानी पं.नं. 170/330 मु.नं. 25 की 2.682 है. नहरी–बारानी, पं.नं. 171/330 मु.नं. 26 की 2.177 है. बारानी, पं.नं. 171/331 मु.नं. 28 की 2.024 है. बारानी, पं.नं. [illegible] बारानी कुल खाता योग 9.401 है. नहरी बारानी खातेदारी में मृतका जी[illegible]म से दर्ज 1/6 हिस्सा का वसीयतन इन्तकाल दिनांक [illegible] या को अपास्त फरमाया जाकर राजस्व अभिलेखों [illegible] स्थिति ब[illegible] किये जाने के आदेश दिये जावे। अति कृपा होगी।

02. अपील प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया [illegible] किया गया। रेस्पोंडेंट सं. 3 ओर से श्री रणजीतसिंह सोनी अधिवक्ता उपस्थित [illegible]। रेस्पोंडेंट सं. 1–2 सरपंच ग्राम पंचायत एवं तहसीलदार रायसिंहनगर से कोई अनुतोष अपीलांट द्वारा नहीं चाहा

उपखण्ड अधि[illegible]
रायसिं[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.02.25 10:52:12 IST
Reason: SelfAttested

SCAN AnyScanner

गया हैं। औपचारिक पक्षकार संयोजित किया हैं। ग्राम पंचायत से अपीलाधीन आदेश संबंधित रिकार्ड कार्यवाही विवरण रजिस्टर तलब किया गया। रेस्पोडेंट संख्या 3 की तरफ से एतराज जवाब पेश किया है। कि दर्ज तथ्य अपीलांट ने नामान्तरण इन्तकाल के विरूद्व यह अपील प्रस्तुत की है जो काबिल खारिज है। क्योकि अपीलांट प्राथी को यह अपील प्रस्तुत करने का कोइ हक व अधिकार नही है और ना ही कोई स्थगन प्राप्त करने का हकदार है। प्रार्थी अपीलांट का राजस्व रिकार्ड में कही नाम दर्ज नही है। इस प्रकार प्रार्थी यह अपील व स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं हैं। विवादित भूमि चक 15 एनपी तहसील रायसिहनगर का खाता संख्या 43 पं.नं. 169/329 मु.नं. 20 की 2.025 है. नहरी बारानी पं.नं. 170/330 मु.नं. 25 की 2.682 है. नहरी बारानी पं.नं. 171/330 मु.नं. 26 की 2.177 है. बारानी पं.नं. 171/331 मु.नं. 28 की 2.024 है. बारानी पं.नं. 172/331 मु.नं. 27 की 0.493 है. बारानी कुल खाता योग्य 9.401है. नहरी बारानी खातेदारी में मृतका जीतकौर के नाम से 1/6 हिस्सा का इन्तकाल दिनांक 14.07.2015 को स्वीकृत किया जा चुका है जिसकी अपील प्रार्थी ने कही भी नही की और इस तथ्य को प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र. में कही भी दर्ज नहीं किया गया है कि जीतकौर के नाम नामान्तरण दिनांक 14.07.2015 को हो चुका है इसलिए यह स्थगन प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है मृतक जीतकौर पुत्री स्व. उतमसिंह ने न्यायालय उपखण्ड अधधिकारी राजस्व रायसिंहनगर के यहां एक वाद पत्र अपना हक व अधिकार घोषित करवाने बाबत पेश किया था जिसमें न्यायालय द्वारा दिनांक 25.06.2012 को दावा स्वीकार करते हुए निर्णय पारित किया जिसमें न्यायालय द्वारा दिनांक 25.06.2012 को दावा स्वीकार करते हुये निर्णय पारित किया जिसमें जीतकौर का 1/6 हिस्सा उपरोक्त सम्पति में घोषित किया गया है और निर्णय के आधार पर जीतकौर के नाम से राजस्व रिकार्ड में नामान्तरण दर्ज हुआ जिसकी कोई अपील प्रार्थी द्वारा नही की गई है। उसके बाद प्रार्थीगण ने आदेश के विरूद्व राजस्व अपील अधिकारी श्री गंगानगर के यहां अपील प्रस्तुत की और राजस्व अपील अधिकारी द्वारा दिनांक 09.07.2015 को राजस्व अपील अधिकारी द्वारा प्रार्थीगण की अपील निरस्त फरमाई गई और जीतकौर का 1/6 हिस्सा में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया। जीतकौर की मृत्यु के बाद उक्त रकबा का नामान्तकरण विधि की पक्रिया की पालना करते हुये अखबार में सार्वजनिक सुचना देते हुये सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा जीतकौर के रकबा का नामान्तकरण उसकी वारिस अमर कौर के नाम दर्ज किया गया जो प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 06.09.2021 को स्वीकृत किया गया। और अमरकौर द्वारा अपने नाम नामान्तकरण व कब्जा शुद्धा भूमि का विक्रय हर्षजीतकौर पत्नी श्री हरदीपसिंह को दिनांक 01.02.2022 को बैयनामा के द्वारा विक्रय कर दी और बैयनामा के आधार सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 21.02.2022 को नामान्तकरण स्वीकृत कर दिया गया। लेकिन प्रार्थीगण ने ना तो इस अपील में खरीददार को पक्षकार बनाया है और ना ही स्थगन प्रार्थना पत्र में पक्षकार बनाया है जानबूझ कर गलत तथ्य प्रस्तुत करके यह अपील व स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो काबिल निरस्त है। प्रार्थीगण को इन्तकाल निरस्त करवाने से पूर्व रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्ट्री बैयनामा सब रजिस्ट्रार मुकलावा द्वारा जो रजिस्टी बैयनामा किया गया है उसे निरस्त करवाने की कोइ कार्यवाही नहीं की गई है बल्कि अमर कौर के नाम नामान्तकरण है उसे निरस्त करने की कार्यवाही हेतु अपील प्रस्तुत की है जो न्यायोचित नहीं है विवादित रकबा का नामान्तकरण बैयनामा के आधार पर हर्षजीतकौर के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो चुका है और जमाबन्दी भी जारी हो चुकी है। और मौका पर कब्जा खरीददार हर्षजीतकौर के पास है। जिसे जानबूझ कर प्रार्थीगण ने पक्षकार नही बनाया है जो आवश्यक पक्षकार है। इसलिए प्रार्थीगण का आवेदन पत्र काबिले निरस्ती है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार करने योग्य नहीं है गलत अपील व आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है उक्त [illegible] इन्तकाल की जो कार्यवाही की गई है वह नियम पूर्वक व विधि की प्र[illegible] पालना करते हुये की गई है उक्त भूमि रिफयूजी आवंटन थी [illegible] की गई हे और उसमें सदस्य उतमसिंह था और उक्त भूमि में उतमसिं[illegible] 1/6 हिस्सा था और उतमसिंह की वारिस जीतकौर के नाम 1/6 हिस्सा [illegible] दर्ज किया गया और जीतकौर के देहान्त के बाद उसके वारिस [illegible] नाम विरास्तन इन्तकाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.02.25 10:52:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

1/6 हिस्सा का दर्ज किया गया। इस प्रकार समस्त कार्यवाही विधि सवंत है इसलिए प्रार्थीगण का आवेदन पत्र काबिल निरस्ती है। अतः प्रार्थीगण की अपील व आवेदन पत्र को खारिज फरमाया जावे व हर्जा खर्चा प्रार्थीगण से अप्रार्थीगण को दिलवाया जावे ।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। वकील अपीलांट अपनी बहस में अपील प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया व अपील स्वीकार करने हेतु निवेदन किया। रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता ने अपने एतराज जवाब में पेश अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अपील अपीलांट अस्वीकार/खारिज करने हेतु निवेदन किया है ग्राम पंचायत द्वारा विधि द्वारा जीतकौर के देहान्त के बाद उसके वारिस अमरकौर के नाम विरासतन इन्तकाल 1/6 हिस्सा का दर्ज किया गया है जो समस्त कार्यवाही विधि संवत है इसलिए प्रार्थीगण का आवेदन पत्र काबिले खारिजे है ।

लिहाजा उक्त विवेचन के आधार पर अपील एवं प्राथना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम सपठित धारा 151 सीपीसी में अंकित भूमि उतमसिंह को परिवार के मुखिया के तौर पर सदस्यों के आधार पर आवंटित की गई थी जिसमें जीतकौर का 1/6 हिस्सा के आधार पर नामान्तरण दर्ज हुआ है। जीतकौर के नाम दर्ज 1/6 हिस्सा की वसीयत प्रतिवादी संख्या 3 अमरकौर के पक्ष में दिनांक 31.08.2020 को निष्पादित की गई थी। जिसका नामान्तरण संख्या 418 दिनांक 06.09.2021 स्वीकृत हुआ। अमरकौर द्वारा उक्त भूमि का विक्रय हर्षजीतकौर पत्नी श्री हरदीपसिंह के पक्ष में 01.02.2022 को कर दिया गया है तथा नामान्तरण 21.02.2022 को स्वीकृत हो चुका है। राजस्व रिकार्ड में भूमि हर्षजीतकौर के नाम हो चुकी है। हर्षजीतकौर को आज दिनांक तक पक्षकार नहीं बनाया गया है। अपील अपीलान्ट सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है ग्राम पंचायत को मूल रिकार्ड लौटाया जावे।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 09.12.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुभाष चन्द्र)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.02.25 10:52:12 IST
Reason: SelfAttested

SCAN AnyScanner